न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा पीठासीन अधिकारी
पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 58 / 2014

प्रार्थीगण :-

1. चैनसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत
2. भवानीसिंह पुत्र हरीसिंह राजपु
   निवासी ब्लॅाक जाटी तह० पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. उदाराम पुत्र देवाराम
2. पदमा पुत्र देवाराम
3. धर्मा पुत्र देवाराम
4. मूलाराम पुत्र खींयाराम, सभी जातियान दर्जी
5. स्वरूपा पुत्र ईशरा जाट
6. अमरा पुत्र चूना
7. गंगा पुत्र चूना
8. खेराज पुत्र चौखा, जाट
9. मूला पुत्र चौखा जाट
10. मगा पुत्र चौखा जाट
11. धर्मा पुत्र चौखा जाट
12. दमा पुत्र रूपा जाट
13. पुरखा पुत्र देवा जाट
14. दुर्गा पुत्र चौखा
15. हडमान पुत्र कालू
16. अणदा पुत्र कालू
17. मोटा पुत्र कालू
18. कमला पत्नि कालू, सभी जातियान जाट, (विप्रार्थीगण संख्या 15, 16 व 17 नाबालिंग वलिया माता कमला पत्नि कालू)
19. घेवर पुत्र खीमा जाट
20. वाला पुत्र पाबूराम दर्जी
21. मूला पुत्र कुम्भा जाट
22. भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा,
    विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ब्लॉऊ सासण, एवं विप्रार्थी संख्या 1 ता 21 ब्लॉऊ जाटी, तह पचपदरा जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए.आर.टी

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

उपस्थितः–

आदेश

दिनांक 28.03.2018

श्री नरपतसिंह भाटी प्रार्थीगण अधिवक्ता
श्री जेठूलाल प्रजापत विप्रार्थीगण अधिवक्ता

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शाए मार्क एक्स ब्लॉउ जाटी से मार्क वाई खसरा न0 6 के दक्षिणी कोने पर मार्क 'एक्स' सार्वजनिक पानी का टांका से मौजा ब्लॉऊ जाटी, से मार्क 'वाई' खसरा संख्या 16 रकबा 153 बीघा 04 विस्वा मौजा ब्लॉउ जाटी के पूर्वी सेढे पर आई मुडीया सडक तक बरंग पीला के रास्ता चौडा 15 फीट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित करवना चाहते है। जिससे कटाण रास्ता से प्रार्थीगण की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त दर्शाये गये नजरी नक्शा अनुसार कदीमी से आने जाने हेतु रास्ता कायम है। जिससे राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने हेतु उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर विप्रार्थी संख्या 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 व 21 की और से वकील उपस्थित हुए एवं दिनांक 29.10.2014 को विप्रार्थी का जबाब पेश हुआ। अपने जबाब मे जाहिर किया है प्रार्थी ने श्मसान की भूमि तक जाने हेतु रास्ते की मांग की है जो इस धारा के प्रावधानों में नही आता है प्रार्थी के पास अपने खेत ख0न0 06 से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी का आवागमन कभी भी हम विप्रार्थीगण के खेत से नही रहा है व न ही अब है। आवागमन हेतु प्रार्थी के कम दूरी का रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी खसरा न0 3, ख 0 न0 47 व 46 से होकर कटाण पक्का मार्ग तक आवागमन करता है तथा यही रास्ता आगे चलकर गांव की आबादी से होकर श्मसान की भूमि में भी जाता है। उक्त रास्ते की मौका स्थिति तहसीलदार पचपदरा द्वारा मंगवाया जाना उक्त प्रकरण के न्याय निर्णय में महत्वपूर्ण है। दीगर विप्रार्थीगण बावजूद तामील/ चस्पा के अनुपस्थित अतः उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। विप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत होने पर तहीसलदार पचपदरा से मौका की रिपोर्ट तलब की गई जो जरिये पत्र कमांक 2556 दिंनाक 6.01.2016 को न्यायालय को प्राप्त हुई। तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट के जाहिर किया कि ग्राम ब्लाऊ जाटी के ख0न0 61श्मसान घाट तक आवागमन हेतु रास्ते बाबत मौका ब्लॉउ जाटी, जांच करने रूबरू भू0 अभिलेख व पटवारी हल्का ब्लाउ जाटी, मौतबिरान व खातेदार के पहुचे। मौका जांच करने पर ग्राम ब्लाउ जाटी खसरा न0 347/12, 348/12, 13, 15, 349/15, 350/15, 16 मे से रकबा 01'08, 0,11, 0.05, 0.07, 0.02 बीघा भूमि प्रस्तावित है अतः प्रस्तावित भूमि रास्ते बाबत् अवाप्त किया जाना उचित है।

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी चैनसिंह वगै0 की ढाणियों में आने जाने हेतु मौके पर राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित भूमि पर ग्राम पंचायत ब्लाउ जाटी ग्राम पंचायत बलाउजाटी द्वारा ग्रेवल सडक बनाई गई है। जो नजरी नक्शें मे लाल रंग से दर्शायी गई है। ग्रेवल सडके से ब्लाउजाटी से भाण्डू जाटी जाने वाले कटाण रास्ते ख0न0 24 पर बनी ग्रवल सडके से ब्लाउजाटी व भाण्डूजाटी की सरहद पर जूडी हुई है। जो ग्रेवल सडक ब्लाउजाटी के ख0 न0 61शमसान घाट से सटकती हुई सटकती हुई निकलती है। प्रार्थी के द्वारा चाहा गया एवं ग्राम ब्लाउजाटी के ख0 न0 61 शमसान घाट जाने हेतु ग्राम ब्लाउजाटी के ख0 न0 347/12, 348/12, 13, 15, 349/15, 350/15, 16 से होकर प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते में प्रभावित होने वाले खातेदारो , ख0अ न0 रकबा का विववरण इस प्रकार है।

क्र0स	नाम खातेदार	ख0 न0	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	उदा, पदमा धमी पि0 देवा	347/12	45.01	1.08
2.	मूला वल्द खीया कौम दर्जी	348/12	45.01	1.08
3.	खेराजराम, मूलाराम, मगराराम, धर्माराम पि0 चौखा दमा वल्द रूपा, पुरखाराम, दुर्गाराम पि0 देवा, हडमानराम, अणदाराम, मोटाराम पि0 कालूराम,मु0 कमला बैवा कालूराम,हडमानराम, अणदाराम, मोटाराम, नाबालिंग वली माता मु0 कमला मु0 कमला बैवा कालूराम, घेवर वल्द खीया जाट देह खातेदार	13	65.18	0.11
4.	बलाराम वल्द किरपाराम दर्जी	15	25.03	1.10
5.	बलाराम पुत्र पाबुराम दर्जी	349/15	12.12	0.05
6.	मूलाराम पुत्र कुम्भाराम जाट	350/15	12.12	0.07
7.	सरूपा वल्द इसरा 2/3 अमरा गंगा पि0 चूना 1/3	16	153.04	0.02
	कुल योग रकबा			5.11

उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है, अर्थात मौके परजमीन खाल है प्रस्तावित रास्ते को नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शाया गया है उपर्युक्त प्रस्तावित रास के अलावा ग्राम बलाउजाटी के खसरा न0 61 शमशान घाट पहंचने हेतु प्रार्थी वगैरहा कोई नजदीक रास्ता नही है। अनवान प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये व तहसीलदार द्वा प्रस्तावित किये गये खसरा स0 16 रकबा 153 बीघा 04 विस्वा मौजा ब्लॉउ जाटी के पूर्वी

.... 4

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

सेढ़े पर आई मुडीया सडक तक बरंग पीला के रास्ता चौडा 15 फीट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2016 को स्वीकार कर मौजा ब्लाउजाटी के ख0 स0 347/12, 348/12, 13, 15, 349/15, 350/15, व 16 मे से नजरी नक्शा मार्क ए से बी 15 फीट चौडाई का नया रास्ता हेतु अवाप्त कर कृषि भूमि उपयोग हेतु व आम जन के हितार्थ खसरा न0 61 तक नया रास्ता घोषित किया गया।

उक्त आदेश की अपील न्यायाल राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर मे अपीलाण्ट बालूराम पुत्र कृपाराम जाति दर्जी निवासी बलाउ सासंण ने अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 12.01.2016 जो उप खण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन सख्या 58/2014 जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए मे पारित किया गया।

न्यायालय अपील आधिकारी महोदय बाडमेर ने बहस उभय पक्ष एवे रेकर्ड मे अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि पत्रावली अपीलाण्ट की आराजी मे अनुतोष नहीं चाहा था तथापि रास्ते में भूमि ली गई है जो नैसर्गिक न्याय के विपरीत है।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.01.2016 अपास्त किया जाता है प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाती है कि अपीलाण्ट को पक्षकार बनाया जाकर उनको समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के आदेश दिनांक 9.03.2017 की पालना मे उक्त पत्रावली पुनः दिंनाक 21.7.2017 को दर्ज रजिस्टर कर नम्बर पर ली गई तथा अपीलाण्ट बालूराम निवासी बलाउ सासंण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पेशी दिनांक 27.07.2017 वास्ते जबाब हेतु रखी गई दिनांक 27.07.2017 दिनांक 27.09.2017, दिनांक 31.10.2017 दिनांक 21.11.2017 दिनांक 22.01.2018 तक जबाब पेश करने व सुनवाई हेतु अवसर दिये गये। प्रार्थी बालूराम ने दिनांक 21.2.2018 को जबाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया जिस पर बालूराम ने दिनांक 15.3.2018 को जबाब पेश किया बालुराम ने अपने जबाब में अवगत कराया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गयें रास्ते में आवेदन में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब फरमायी गयी थी। उक्त रिपोर्ट में राजस्व अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि प्रार्थीगण की ढाणियों में आने जाने हेतु मौके पर राज्य सरकार के पक्ष में भूमि समर्पित होने पर ग्राम पंचायत बलाउ जाटी द्वारा ग्रेवल सडक बनायी गयी है तथा उक्त ग्रेवल सडक कटाण रास्ते के चढती हुई खसरा न0 61 शमशान घाट तक जाती है जिससे प्रार्थीगण को अपने ढाणियों मे तथा अपने खातेदारी भूमि में अवागमन हेतु पूर्व में रास्ता विद्यमान है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा नये रास्ते हेतु पेश किया हुआ आवेदन चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति मे जो पूर्व में प्रार्थीगण को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है जो प्रार्थीगण द्वारा पडोसी खातेदारान को बेवजह तंग करनपे का एवं नया रास्ता स्वीकृत कराने का कोई कानूनी/अधिकार नहीं है धारा 251 ए के तहत खातेदारन के पास आवागमन हेतु वैकिल्पक रास्ता उपलब्ध होने पर नये रास्ते का आवेदन करने का हक अधिकार हासिल नहीं है प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा न0 6 मे आने -जाने हेतु खसरा न0 3 व 45 मे से सब से नजदीकी रास्ता उपलब्ध है जो सरहद मौज बलाउ सांसण के मुख्य रास्ते से जुडता हुआ चलता है अतः मुझ बालूराम के खातेदारी खेत सरहद मौजा बलाउ जाटी के ख0 न0 15 मे से प्रार्थीगण को नया रास्ता स्वीकृत नहीं करावे प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज फरमावें।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील ने बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने बहस के दौरान बताया कि वैकल्पिक रास्ते के होने को कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है गिरदावर द्वारा जो रिपोंट भेजी गई दोनो गावों की सरहद पर है जो सभी के लिये सुवधिा जनक है। एवं कोई अपूर्णीय क्षति हो ऐसी स्थिति नहीं है। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा पेश की गई है उसके समस्त खातेदारो में बालूराम के अलावा सभी ने रास्ते में सहमति से मुआवजा ले लिया है। बालूराम की हट धर्मिता है। इसके सिवाय कुछ नहीं। रास्ता देना ही सुविधा जनक है।

विप्रार्थी वकील ने बहस मे अवगत कराया कि 251 ए में यदि पूर्व में ही खातेदारन के पास वैकल्पिक रास्ता विद्यमान हो तो नया रास्ता सृजितत करने का हक नहीं है। आवेदन पत्र अनुसार खसरा न0 16 से मांग की है परिशिष्ट 'अ' मे लाल रंग से प्रदर्शित रास्ता न्यूतम दूरी का है ग्रेवल सडक निर्मित है किसी की सुविधा हेतु मेरी भूमि कम क्यों की जावे विधि की प्रकिया के तहत 251 ए के तहत ही लागू होगा मै तो पक्षकार ही नहीं हू मात्र इस बिन्दू पर ही प्रार्थना पत्र खारिज है। परम्परागत रास्ता जहां उपलब्धहै वहां 251 ए की प्रार्थना लागू नही होती।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ही तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित किये गये खसरा संख्या 16 रकबा 153 बीघा का किस्म मौजा ब्लाउ जाटी के पूर्व सेढे पर आई मुडिया सडक तक रास्ता चौडा 15 फीट भूमि का आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोंषित करवाना चाहते है।

उपंजीयक पचपदरा ने उक्त भूमि की सडक पर डी एल सी दर 23000 व सडक से दूर 19600 रूपये प्रति बीघा होना बताया है इस पर 5.11 बीघा भूमि पर मुआवजा धारा 251 ए आर.टी.ए के तहत नये निमयों के अनुसार डी एल सी रेट 19600/- रूपये का दुगने के हिसाब से 39200/-रूपये की हिसाब से 5.11 बीघा भूमि का मुआवजा 2,17, 560, प्रति अक्षरे रूपये दो लाख सत्तरा हजार पांच साठ रूपये मात्र बनते है जो प्रार्थीगण से वसूल कर

....6

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

विप्रार्थीगण खातेदारान को दिलाया जाना उचित है। प्रस्तावति रास्ते की भूमि में से 15 फीट चौडा कुल रकबा 5.11 बीघा भूमि नजरी नक्शा अनुसार आमजन के हितार्थ खसरा न0 61 में जाने हेतु नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में भूमि रास्ते के उपयोग हेतु तरमीम के आदेश दिये जाते है तहसीलदार पचपदरा नजरी नक्शा अनुसार व आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे प्राथी से मुआवजा की राशि 2,17,560/– अक्षरे रूपये, दो लाख सत्तहरा हजार पांच सौ साठ रूपये मात्र विप्रार्थी खातेदारान को अदा करे या लेने से इन्कार करने पर तहसीलदार पचपदरा को राजकोष में अदा करें।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा ब्लाउ जाटी के खसरा न0 347/12, 348/13, 13, 15, 349/15, 350/15, 16, मे से नजरी नक्शा मार्क ए के से बी 15 फीट चौडा का नया रास्ता हेतु ~~अपास्त~~ अवाप्त कर कृषि भूमि उपयोग हेतु व आमजन हितार्थ खसरा न0 61 तक नया रास्ता घोषित किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Scanned by CamScanner